फर्द अहकाम

न्यायालयः सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

दाताराम **बनाम** **सोहन वगैराह**

पत्र संख्या– 27 / 2022

दिनांक आज्ञा / कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.11.2022	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अवगत कराया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में प्रश्नागत भूमि बाबत् पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा यह तय किया गया कि प्रश्नागत भूमि हाल खसरा नम्बर 1148 / 753 / 0.4375 वाके मोजा पूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के हाल राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाये एवं हाल आराजी खसरा नम्बर 759 / 0.47 वाके मोजा पूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाये। राजीनामा तस्दीक करवाया जाकर वादी व प्रतिवादी के बयान लिये गये। अतः आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 1148 / 753 / 0.4375 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 759 / 0.47 में वादी का नाम हजफ कर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बरवक्त निर्णय राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो खसरा नम्बर 759 / 0.47 पर वादी (दाताराम पुत्र सुल्तान) द्वारा बैंक लोन लिया हुआ है। अतः इसकी देयता वादी द्वारा चुकता की जायेगी। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर कोटपूतली (जयपुर) अध्यक्ष लोक अदालत कोटपूतली, जिला–जयपुर (राज0)	